न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–3, मिर्जापुर।

सत्र परीक्षण संख्या–187 सन् 2017

राज्य बनाम संजय जायसवाल उर्फ सन्जू

अन्तर्गत धारा–147, 332/149, 353/149, 336/149, 307/149, 427, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम
थाना–को0 शहर, जनपद मिर्जापुर।
मु0अ0सं0–783/2014

<u>आरोप</u>

मैं पी0एन0 श्रीवास्तव अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–3 मिर्जापुर आप अभियुक्त संजय जायसवाल उर्फ सन्जू को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

1. यह कि दिनॉक 04.10.2014 को समय 19.05 बजे सांय वहद्स्थान घण्टाघर थाना कोतवाली शहर जिला मीरजापुर में आपने सह–अभियुक्त सूरज कुमार उर्फ बिहारी, गुलाब चन्द्र विश्वकर्मा, संजू व अमित साहू आदि के साथ अवैध जमाव बनाते हुए घटनास्थल पर मूर्ति विसर्जन के लिए बल्बा कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने अन्य सह–अभियुक्तों के साथ सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी मुकदमा थानाध्यक्ष को0 शहर के चालक जयन्ती प्रसाद को राजकीय कर्तव्यों से निवारित करने के उद्देश्य से स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332/149 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने सह–अभियुक्तों के साथ सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए वादी लोक–सेवक को राजकीय कर्तव्य का निर्वहन करने से प्रवारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353/149 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
4. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने 100 लोगों की भीड़ के साथ पुलिस बल पर ईट–पत्थरों से पथराव करते हुए ऐसा कृत्य किया, जिससे मानव जीवन एवं अन्य लोगों के जीवन की सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336/149 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
5. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने 100 लोगों की भीड़ के साथ ईट से पथराव करते हुए वादी थानाध्यक्ष सुनील दत्त दूबे तथा अन्य पुलिस बल को जान से मारने की नियत से हमला किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/149 के अन्तर्गत

दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6. यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आपने पथराव करके मौके पर मौजूद पुलिस के वाहन तथा अन्य वाहनों के शीशे तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
7. यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आपने 100 लोगों की भीड़ के साथ मूर्ति विसर्जन करने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय के विरूद्ध आपत्तिजनक नारे लगाते हुए प्रकोपन पैदा करते हुए शान्ति भंग किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
8. यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आपने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत मूर्ति विसर्जन करने के लिए उग्र होकर थानाध्यक्ष को0 शहर व उनके हमराहियों को जान से मारने की धमकी दिया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
9. यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आपके द्वारा उग्र भीड़ के साथ पथराव करके लोक व्यवस्था छिन्न–भिन्न कर दिया गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांक–18.12.2017

(पी0एन0 श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–3,
मिर्जापुर।

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मॉग किया।

दिनांक–18.12.2017

(पी0एन0 श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–3,
मिर्जापुर।